



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पी. सरदार सिंह
कुलसचिव
P. Sardar Singh
Registrar



दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

क्रमांक :- 04A/सा.प./2019-20/Part File-2/1220

दिनांक:- 06-09-2023

परिपत्र

विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली प्रत्येक कक्षाओं की समयावधि 01 घंटे रहेगी, जिसमें से 45 मिनट लेक्चर तथा शेष 15 मिनट संवादात्मक सत्र (Interactive Session) रहेगा | संवादात्मक सत्र में विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी (Q&A), विचार (Observation), समीक्षा (Comments), संदेह समाधान (Doubt Clearance) इत्यादि सम्मिलित रहेंगे। उपरोक्त को सभी विभागों/केंद्र द्वारा अकादमिक कार्यक्रमों के लिए जारी समय-सारणी में नोट के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया गया है।

कुलसचिव

प्रति : समस्त शिक्षकगण, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :-

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष /प्रमुख, केन्द्र निदेशक
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. जनसंपर्क अधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. लीला विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. संबंधित पत्रावली